

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

संबद्धता दिनांक: 16-9-2020

-कार्यालय आदेश-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय कायमिस्त ऑफ इन्जिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक वर्ष 2020-21 हेतु विद्यार्थी वार्षिक तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद सम्बद्धता/संबद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को आचार्य, प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संख्यक को सम्बद्धता/संबद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को आचार्य, प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संख्यक को सम्बद्धता/संबद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/परीक्षा द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/परीक्षा द्वारा वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए वर्ष 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुसार नई सम्बद्धता समिति की बैठक को सू.20 में विद्यार्थी इन इंग्रैंड पाठ्यक्रम संघटित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रत्येक एक संस्था। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श का निष्पत्तु निर्णय लिया गया -

परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की संस्थाएं जिनके द्वारा संस्था के नाम में परिवर्तन किये जाने का आवेदन किया जाता है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया कि इन संस्थाओं से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जाये कि कितने परिवर्तनों में उनमें द्वारा संस्था का नाम परिवर्तन किया जा रहा है, तदनुसार ए0आर्इ0सी0टी0ई0 द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु निर्णय किये गये अनुमोदन पत्र में अंकित संस्था के नाम के अनुसार परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आचार्य सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुसार नई संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संख्यक द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा अर्जित प्रवेश संस्था हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	संबद्धता का नाम	ए0आर्इ0सी0टी0ई0/ इंग्रैंड वर्ष 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश संख्या	ए0आर्इ0सी0टी0ई0/ परिषद द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	आ. उत्तर प्रदेश इन्जिनियरिंग टैकनीशियन शिक्षा संस्थान।	बी.पी.टी. उत्तर प्रदेश इन्जिनियरिंग टैकनीशियन शिक्षा संस्थान।	बी.पी.टी. विद्यार्थी वार्षिक एक संस्था संवर्धन। बी.पी.टी. विद्यार्थी वार्षिक एक संस्था संवर्धन एक वार्षिक अर्जित प्रतिष्ठान। इन्जिनियरिंग इन्फो। इन्फोटेक इन्फो। इन्फोटेक इन्फो। इन्फोटेक इन्फो।	80 80 80 80 100 80 80 100	80 80 80 80 100 80 80 100

संबद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आर्इ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा नियमित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1962, सेक्टर विनियमवारी-2018 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंग्रैंड पाठ्यक्रमों हेतु पत्र 20,100.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय भारतीय कायमिस्त ऑफ इन्जिनियरिंग हेतु पत्र 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय भारतीय कायमिस्त ऑफ इन्जिनियरिंग) हेतु पत्र 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही वार्षिक प्राप्त/उत्पन्न से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्राप्त/उत्पन्न से शुल्क की सम्बन्ध में समग्र-समय पर सातम द्वारा निर्णय किये जाने वाले साक्षात्कार अर्जित होने और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। नोंद निर्धारण समिति द्वारा यदि वर्ष 2020-21 हेतु नोंद का पुनर्विचारण किया जाय है, तो नोंद की नवीकरण करें लागू होगी।
- ✓ संस्था को ए0आर्इ0सी0टी0ई0 प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा अन्य समितियों, संस्थाओं की सम्बद्ध किये जाने। विनियमवारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(Handwritten Signature)

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों की रिक्तता तक जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत वास्तुआदेश के अनुसार निर्माण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0आई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/विधनी/अधिनियमों/शासनपदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उ0प्र0 तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 द्वारा बनाये गये विधनों विनियमों आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विस्तारण इन कार्यों को प्राप्तकरन की सम्बद्ध खर्च बीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में आवश्यक होगी है तो इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक सत्र से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था बाध्य उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी धन वापस किया जाता है तथा वापस कर के संबंध में भी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संस्था आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संस्था को करनी होगी।
- ✓ विस्तारण इन कार्यों को प्राप्तकरन संघालिता करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु आयोजित प्राप्त होने के पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (अनुमति/विधि) के सम्बन्ध में संस्था संस्था उत्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नीतिगत अर्थगत विधनों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्तान, साज-सज्जा, परिसर, प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त शुरु, प्रकाशित सुनिश्चित आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु अनुसृत वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रचित योजना के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संघालित वाद्यकरण को बनाये जाने हेतु निर्देशक समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख भूमि-वापस, कर्नाकर, उपकरण इत्यादि का खर्च संस्था द्वारा किसी अन्य वाद्यकरण के संघालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सम्बन्ध संस्था की सम्बद्धता समस्त विधि जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न करने जाने अन्यथा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसृतवाद्यकरण कार्यवाही की जाएगी।

(स0 आर0के0 सिंह)
सचिव

पू0स0- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1872-3141

तदरिनांक-15-09-2020

प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, आ0 उत्तर प्रदेश सीपी ईपीएचूट जीव टैम्बलॉजी, सीटी विद्यापीठ।

(स0 आर0के0 सिंह)
सचिव

कार्यालय,**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 08/08/2021

:-कार्यालय ज्ञापन:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी क्वॉलिफिकेशन और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा बौद्धिक स्तर 2021-22 हेतु दिल्लीमा नतीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता सम्बद्धता विश्वास प्रदान किये जाने हेतु दिनांक- 01/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पुई से प्रस्तावित संस्थाओं को सम्बद्धता विश्वास पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सदी पर विचार करने हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विश्वास प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में लिए संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विश्वास प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4443-DR DASHRATH CHAUDHARY NATIONAL POLYTECHNIC, BANSI, SIDDARTHA NAGAR

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
5	PG DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेमेस्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र०) प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश पालन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों/विनियमों/आदेशों/निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्या होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पूर्ण भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवसाय सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित नो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, जर्नल, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पी०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निपटानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार साँतकर)

सचिव

पू०सं०- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता 2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिशोध:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, DR DA SHRATH CHAUDHARY NATIONAL POLYTECHNIC, SAN 3, SHODARTHA NAGAR



(सुनील कुमार साँतकर)

सचिव

प्राथमिक

उच्च प्राथमिक विवरण

उच्च प्राथमिक विवरण

संस्था: 4443-DR DASHRATH CHAUDHARY INSTITUTE OF TECHNOLOGY

पत्रिका: 2022-23

प्राथमिक

उच्च प्राथमिक विवरण में प्रवेश करने वाले छात्रों को उच्च प्राथमिक विवरण में प्रवेश करने के लिए प्रवेश परीक्षा देनी होगी। उच्च प्राथमिक विवरण में प्रवेश करने वाले छात्रों को उच्च प्राथमिक विवरण में प्रवेश करने के लिए प्रवेश परीक्षा देनी होगी। उच्च प्राथमिक विवरण में प्रवेश करने वाले छात्रों को उच्च प्राथमिक विवरण में प्रवेश करने के लिए प्रवेश परीक्षा देनी होगी।

उच्च प्राथमिक विवरण में प्रवेश करने वाले छात्रों को उच्च प्राथमिक विवरण में प्रवेश करने के लिए प्रवेश परीक्षा देनी होगी। उच्च प्राथमिक विवरण में प्रवेश करने वाले छात्रों को उच्च प्राथमिक विवरण में प्रवेश करने के लिए प्रवेश परीक्षा देनी होगी। उच्च प्राथमिक विवरण में प्रवेश करने वाले छात्रों को उच्च प्राथमिक विवरण में प्रवेश करने के लिए प्रवेश परीक्षा देनी होगी।

संस्था का कोड एवं नाम : 4443-DR DASHRATH CHAUDHARY INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BANSI SIDDARTHA NAGAR

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एच.आई.सी.टी.ई.टी.पी.सी.आई. द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION	60	60
2	CIVIL ENGINEERING	120	120
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120

संस्था द्वारा संतुष्ट

- ✓ संस्था एच.आई.सी.टी.ई.टी.पी.सी.आई. द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ संस्था उच्च प्राथमिक विवरण परिसर उच्च प्राथमिक विवरण विभागावली 1992, विभागावली 2000, विभागावली 2010 तथा संस्था समस्त पर निर्मित शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा सुका निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सुका तीन वर्षों हेतु पाठ्यक्रमों हेतु (एच.आई.सी.टी.ई.टी.पी.सी.आई. प्रतिवर्ष) की वर्षीय फीस पाठ्यक्रम हेतु (एच.आई.सी.टी.ई.टी.पी.सी.आई. प्रतिवर्ष) एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फीस) पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु (एच.आई.सी.टी.ई.टी.पी.सी.आई. प्रतिवर्ष) सुका हो प्रत्येक छात्र/छात्रा के प्राप्ति किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से सुका के संबंध में संस्था समय पर वाचन द्वारा निर्गत किए जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और उदरगता कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिसर द्वारा अर्जित करने को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुका जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उच्च प्राथमिक विवरण द्वारा निर्गत विधि/विधियों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राथमिक विवरण द्वारा सुका प्रवेश परीक्षा परिसर उच्च प्राथमिक विवरण परिसर, उच्च प्राथमिक विवरण, विधियों, अर्थों एवं निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्था का एच.आई.सी.टी.ई.टी.पी.सी.आई. से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था को उत्तरदायी होगा। प्राथमिक विवरण परिसर, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिसर, प्राथमिक विवरण निदेशक एवं प्राथमिक विवरण विभाग उच्च प्राथमिक विवरण के विरुद्ध यदि कोई कदम उठाया जाता है तथा दाया बाएं के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संकाय को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिसर उच्च प्राथमिक विवरण द्वारा अर्जित की प्रवेश हेतु प्राथमिक विवरण प्रारंभ होने के पूर्व एच.आई.सी.टी.ई.टी.पी.सी.आई. से अनुमोदन प्राप्त का परिसर कार्यालय को उपलब्ध करना होगा, अन्यथा उन्हें प्रवेश को (कार्यालय) के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अंश पर सीधे प्रवेश, अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उच्च प्राथमिक विवरण द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम अंश/अधिनियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ, भूरे, डाटा, संकाय, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला सुका, छात्रावास सुका आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था की शिक्षण प्रणाली हेतु उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक प्रक्रिया के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि संस्था में प्रस्तावित संघटित पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, मुद्रित भवन, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के चलाने में प्रयोग किया जाता है और परिसर को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के अंतर्गत स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में मुद्रित भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साक संकाय एच.आई.सी.टी.ई.टी.पी.सी.आई. परिसर के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाये जाते हैं तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(Signature)
मुख्य अधिकारी

कोड

2022-DR DASHRATH CHAUDHARY INSTITUTE OF TECHNOLOGY

दिनांक: 2022-23

4443-DR DASHRATH CHAUDHARY INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BANSI SIDDARTHA NAGAR

(Signature)

1/1/2025

1/1/2025